दिनांक–10.03.2026 को अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई विभागीय कार्यों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थितिः–

- सभी अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा प्रेषित 38 कॉलम प्रपत्र को त्रुटि रहित भरकर सम्यक समीक्षोपरांत अपने मंतव्य एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के मंतव्य के साथ दो दिनों के भीतर मुख्यालय को Soft Copy एवं Hard Copy में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–सभी अधीक्षण अभियंता

- प्रमंडलों द्वारा स्वयं भुगतेय (PHED OWN) उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दिनांक–01.02.26 के आधार पर प्रतिवेदित बकाया राशि का संयुक्त सत्यापन कराकर बकाये राशि के भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में शीर्षवार अधियाचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। परंतु किसी भी प्रमंडलों द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए पुनः निदेशित किया गया कि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्णित उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध दावा किये गये राशि का संयुक्त सत्यापन कराकर विहित प्रपत्र में आवश्यकतानुसार अधियाचना विशेष दूत के माध्यम से दो दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित अधीक्षण अभियंता इसका अनुश्रवण करते हुए निर्धारित अवधि में अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

अनुपालनः–संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता /संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी।

- संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि के विरूद्ध प्रतिवेदित भुगतान का विभागीय MIS पर प्रमंडलों द्वारा साक्ष्य सहित की जा रही प्रविष्टि की शुद्धता की जाँच नियमित रूप से करेंगे एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की स्थिति में सुधार हेतु मामले को संबंधित कार्यपालक अभियंता के संज्ञान में लाते हुए अविलंब सुधार कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी एवं अनुशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी।

- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि विद्युत विपत्र में शून्य उर्जा खपत वाले उपभोक्ता संख्याओं से संबंधित जलापूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता का स्थलीय जांच करेंगे एवं शून्य अथवा अत्यल्प क्रियाशीलता की स्थिति में संबंधित संवेदको/एजेन्सियों के विरूद्ध

एकरारनामा में विहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि MIS पर कतिपय प्रमंडलों के विद्युत मीटर मैपिंग की प्रविष्टि योजनाओं की संख्याओं के अनुसार संतोषजनक नहीं है एवं कई मामलो में त्रुटिपूर्ण है। सभी कार्यपालक अभियंताओं एवं सहायक यांत्रिक सह नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि MIS पर अविलंब विद्युत मीटर की शत–प्रतिशत त्रुटिरहित मैपिंग कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से इस कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए अविलंब निष्पादित करायेंगे।

अनुपालनः— सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) / सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संवेदको / एजेन्सियों को डिवार से मुक्त करने हेतु की जा रही अनुशंसा में मात्र एकरारनामा विशेष से संबंधित विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध लंबित बकाये राशि को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है क्योंकि संबंधित संवेदको / एजेन्सियों का उसी प्रमंडल के अन्य एकरारनामा के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध अत्याधिक मात्रा में बकाये राशि का भुगतान लंबित रहता है। फलतः सभी कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को निदेशित किया गया कि किसी संवेदक / एजेंसी विशेष को डिबार से मुक्त करने की अनुशंसा से पूर्व उस संवेदको / एजेन्सियों से संबंधित सभी एकरारनामा के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध लंबित बकाये राशि का समीक्षा कर लेंगे। बकाये राशि का संतोषजनक भुगतान होने पर ही डिबार मुक्त का अनुशंसा करेंगे अन्यथा विद्युत विपत्रों के बकाये राशि के उत्तरोत्तर वृद्धि में उन्हें भी संलिप्त मानते हुए उनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

अनुपालनः— सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पिछले दस दिनों में MIS पर कतिपय प्रमंडलों में Electricty Bill Payment की प्रविष्टि शून्य प्रतिवेदित है, जो खेदजनक नहीं है। उक्त के संबंध में Electricty Bill Payment की शून्य प्रविष्टि प्रतिवेदित वाले संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रशाखा–05 / 11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। इसके उपरांत भी अगली बैठक में Electricty Bill Payment की प्रविष्टि शून्य प्रतिवेदित पायी जाती है तो शून्य प्रविष्टि वाले प्रमंडलों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

अनुपालनः— सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता।

2. CGRC (Pump Operator payment & other) PHED/PRD:-

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, ढाका, छपरा, मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, वैशाली, सिवान, मोतिपुर एवं मधुबनी में 30 दिनों से उपर 302, 155, 154, 146, 127, 111, 92, 91, 90, 87, 83 एवं 81 लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि कतिपय संवेदकों/प्रमंडलों द्वारा शिकायतों का निष्पादन कराने में ज्यादा समय लिया जा रहा है एवं विभागीय समय सीमा के अन्दर नहीं कराया जा रहा है। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि एकरारनामा के अनुरूप Debar/Rescind/Blacklist करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत करांएगे। जिन प्रमंडलों में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायत है उन शिकायतों का मुख्यालय स्तर से दल गठित कर स्थल जाँच करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, आरा, पटना पश्चिम, नवादा, बक्सर, भागलपुर पश्चिम एवं किशनगंज में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि कतिपय संवेदकों/प्रमंडलों द्वारा शिकायतों के निराकरण में औसत 10 दिन से अत्याधिक समय लिया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा शिकायतों के निष्पादन कराने में रूचि नहीं ली जा रही है एवं उनकी अर्कमण्यता को दर्शाता है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रशाखा—05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—अभियंता प्रमुख सह—विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि अपने क्षेत्रातंर्गत उन सभी सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं की सूचना अगली प्रस्तावित बैठक में देंगे, जो काम के प्रति लापरवाही एवं अकर्मण्य है।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि पंप चालक का लंबित मानदेय भुगतान का जिला पदाधिकारी एवं DPRO के साथ समन्वय स्थापित कर भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि 15—30 दिन एवं 30 दिन से उपर जितने लंबित शिकायत है, उन सभी लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर 50 प्रतिशत निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे ।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

3. Left out tola PHED/PRD:-

- ❖ सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं/सहायक अभियंताओं को निदेशित किया गया था कि Left Out Tola's PHED/PRD योजनाओं से संबंधी स्थल चिन्हित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं माह मई, 2026 तक पूर्ण कराना था। फलतः कतिपय प्रमंडलों की कार्य प्रगति असंतोषजनक एवं धीमी पाई गई। उक्त के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि मई, 2026 तक कार्य प्रगति में तेजी लाए और उन सभी योजनाओं को समयानुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, लखीसराय द्वारा बताया गया कि "हर घर नल का जल" योजना के छूटे हुए टोलों में 80 जगहों पर भूमि अनुपलब्ध है। इस कार्य में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि 80 साईट में भूमि अनुपलब्धता की सूची अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय को निदेशित किया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय की स्थल जांच कर इसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

4. Detail Report of PRD Expenditure :-

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, हिलसा, बिहारशरीफ, नवादा, गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर, भभुआ, सासाराम, शिवहर, गोपालगंज एवं छपरा को निदेशित किया गया कि PRD O&M में व्यय की गयी राशि का अवयववार विहित प्रपत्र में प्रविष्टि कर अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

5. Tender Status PHED/PRD:-

- ❖ समीक्षा के दौरान सभी प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल को निदेशित किया गया है कि जिस भी स्तर से निविदा लंबित है, उन सभी निविदाओं का निष्पादन कर इसकी प्रति अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता।

6. CP Gram/E-Compliance:-

- ❖ मुख्यमंत्री सचिवालय के E-Compliance Dashboard पर कतिपय प्रमंडल स्तर से क्रमशः–भागलपुर पूर्व, बिहारशरीफ, दरभंगा, गयाजी, हाजीपुर, हिलसा, जहानाबाद, जमुई, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं

तेघड़ा का लंबित परिवाद की संख्या 10 से ज्यादा है। विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर परिवादी को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाय एवं उसकी एक प्रति मुख्यालय को तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि CP Gram का अद्यतन प्रतिवेदन कतिपय प्रमंडल स्तर से क्रमशः–औरंगाबाद, तेघड़ा, मधुबनी, सहरसा, गया एवं दरभंगा अंतर्गत 10 दिनों से ज्यादा दिन से लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि तीन दिनों के अंदर निराकरण कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि E-Compliance Dashboard अथवा CP Gram के शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिकायत का निराकरण विभागीय समय–सीमा के अंदर सुनिश्चित रखेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

7. अन्यान्यः–

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया था कि अपने क्षेत्रांतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक, परिचारी, खलासी एवं कीमैन–सह–चौकीदार के नियुक्ति हेतु रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा–निदेश के अनुसार तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

ह०/- 19/3

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक-102/25-250 दिनांक– 20/3/26

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/3

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/वैक्र –102/25–250 दिनांक– 20/3/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/वैक्र –102/25–250 दिनांक– 20/3/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/3

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/वैक्र –102/25–250 दिनांक– 20/3/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

Electricity Bill Payment Summary of Civil (PHED) as on 3/10/2026 11:03:30 AM

Sl No.	Division	Total Target (PHED Scheme)	Total Amount	Payment Entery from last 10 days
1	2	3	4	5
1	ARWAL	19	1606082.00	0.00
2	AURANGABAD	786	480294.00	0.00
3	BEGUSARAI	1146	7539889.00	0.00
4	BHAGALPUR(EAST)	702	16340847.00	0.00
5	BHAGALPUR(WEST)	448	12933661.63	0.00
6	BHOJPUR	909	10196350.00	0.00
7	BIHAR SHARIF	582	24560285.00	0.00
8	BUXAR	582	595484.00	0.00
9	DHAKA	35	1965905.00	0.00
10	GOPALGANJ	99	4488107.27	0.00
11	HILSA	109	22521183.00	0.00
12	LAKHISARAI	424	7205293.00	0.00
13	MADHUBANI	272	3149166.00	0.00
14	MOTIPUR	227	13115412.00	0.00
15	MUNGER	744	2643096.95	0.00
16	MUZAFFARPUR	180	10190085.00	0.00
17	PATNA WEST	117	2745582.00	0.00
18	SAMASTIPUR	1405	17648325.00	0.00
19	SARAN(CHAPRA)	431	8725545.70	0.00
20	SHERGHATI	596	13004778.40	0.00
21	SIWAN	170	5261382.00	0.00
22	TEGHRA	1243	7597853.00	0.00
23	CHAMPARAN(BETTIAH)	491	109710.00	0.00
24	BARAHAT	573	8695648.00	75566.00
25	DARBHANGA	123	5572948.00	114039.00
26	GAYA	827	7777718.00	148900.00
27	PURNEA	1923	7072049.37	171707.00
28	SHEIKHPURA	568	1090224.00	194470.00
29	JAMUI	1658	25698778.00	292898.00
30	JHANJHAPUR	164	1681326.00	628282.00
31	DHAMDAHA	1915	6131367.62	647138.00
32	SHEOHAR	74	2888363.00	721000.00
33	KHAGARIA	1897	11163414.41	814351.00
34	VAISHALI(HAJIPUR)	730	24075461.00	832491.00
35	SAHARSA	1999	8323218.21	944089.00
36	KAIMUR(BHABUA)	1011	2393633.00	1139715.00
37	SUPAUL	2977	6024344.00	1218242.00
38	JEHANABAD	65	3915802.00	1369959.00
39	BANKA	1025	16151344.00	1533843.00
40	PATNA EAST	172	31911013.00	2102070.00
41	NAWADA	728	21203755.00	2413636.00
42	EAST CHAMPARAN	70	4613000.00	3578000.00
43	SITAMARHI	381	6317032.00	3804316.00
44	ARARIA	1947	13558618.00	4103177.00
45	MADHEPURA	2398	12099140.00	4230795.00
46	KATIHAR	3921	21217030.00	6036429.00
47	FORBESGANJ	1592	27201977.00	9236584.00
48	KISHANGANJ	2325	22408195.65	9518488.00
49	ROHTAS(SASARAM)	1017	14388370.00	11837864.00
	Total		508198086.21	67708049.00